समाचार-प्रकाशनार्थ:-

वार्डवार पर्यवेक्षकों ने नगर के व भन्न क्षेत्रों में करवाया सफाई का कार्य
स्वच्छता कार्य में नियुक्त वार्डवार पर्यवेक्षक अपने-अपने वार्डो में प्रतिदिन भ्रमण करें
प्रतिदिन की रिपोर्ट व्हाट्स एप ग्रुप में अपलोड करें

रतलाम 27 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता में नम्बर 1 बनाने हेतु युद्व स्तर पर की जाने वाली तैयारियों के संबंध में वार्ड वार नियुक्त पर्यवेक्षकों अपने-अपने वार्डो में सफाई कार्य हेतु पर्यवेक्षण निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार कया जाकर प्रतिदिन के पर्यक्षण कार्य की रिपोर्ट व्हाट्स एप ग्रुप मंे दी जाकर स्वच्छता संबंधी कार्य करवाया जा रहा है।
निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देषानुसार वार्डवार नियुक्त पर्यवेक्षकों ने अपने-अपने वार्ड में भ्रमण कर जानकारी प्रस्तुत की जिसके तहत वार्ड 6 व 7 के कचरा संग्रहण वाहन के हैल्पर उपस्थित नहीं पाये गये। इसके अलावा वार्ड क्रमांक 6 मार्निंग स्टार स्कूल के सामने ना लयों की सफाई करवाये जाने के साथ वार्ड क्रमांक 5 में नाले की सफाई का कार्य करवाया गया।
इसके अलावा आबकारी चौहारा के पास नाले का जाम खोला गया व औद्यो गक प्र षक्षण संस्थान की बाउण्ड्रीवॉल के आसपास सफाई का कार्य करवाया गया। वार्ड क्रमांक 5 इन्द्रलोक नगर मुख्य मार्ग की सफाई के साथ ही वार्ड क्रमांक 44 सैफी मोहल्ला में भी सफाई का कार्य करवाया गया।
इसी तरह नयापुरा में अतिक्रमण हटाकर करवाई व वार्ड क्रमांक 6 वश्णुपरी में कीटनाषक दवा छिड़काव कये जाने के अलावा जवाहर नगर सी कालोनी की सफाईए धान मण्डी देवी संह की गली की सफाई व वरदान नगर में नाली की सफाई का कार्य पर्यवेक्षकों द्वारा करवाया गया।
अलकापुरी स्थित सुलभ काम्पलेक्स के आसपास व भारत माता उद्यान के अलावा ब्राम्हणों के वास में सफाई करवाई गई।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने नियुक्त पर्यवेक्षकों को निर्दे षत कया है क वे अनिवार्य रूप से प्रतिदिन अपने-अपने वार्डो में प्रातः 6 बजे से भ्रमण कर प्रतिदिन के कार्य की रिपोर्ट व्हाट्स एप ग्रुप में अपलोड़ करें। वार्डो में भ्रमण नहीं करने वाले पर्यवेक्षकों व जानकारी नहीं देने वाले पर्यवेक्षकों पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

25 फरवरी को आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड वार नियुक्त 23 पर्यवेक्षकों को निर्दे षत कया था क वे अपने-अपने वार्डो में प्रातः 6 बजे से भ्रमण कर वार्ड में साफ-सफाईए वषेश रूप से सड़कोए ना लयों की सफाईए उद्यानों की साफ-सफाई व रख-रखाव करवानाए सार्वजनिक दिवारों पर स्वच्छता का संदेष देने वाली वॉल पेंटिग करवानाए सर्वेक्षण के मानक अनुसार वार्डो में साइनेज का कार्य करवानाए वार्डो में उ चत दूरी पर डस्टबीन रखवानाए कचरा संग्रहण वाहनों की मॉनीटरिंग करनाए कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिकों को प्रेरित करनाए पृथक्कीकरण अवस्था में कचरा टे्र चंग ग्राउण्ड पर पंहूचानाए वार्डो में आईईसी गति व धयां संचा लत कर नागरिकों को स्वच्छता के लए प्रेरित करनाए कचरा संग्रहण वाहनों की जीपीएस टे्र कंग करवानाए थोक कचरा उत्सर्जन वाले संस्थानों में उनके ही स्थल पर जै वक खाद निर्माण करवानाए नागरिकों को होम कम्पोस्टिंग कये जाने हेतु प्रेरित कये जाने के साथ ही अपने-अपने वार्डो में 6.6 बेस्ट पांईट चन्हित करें करने के निर्देष दिये थे।

इसके अलावा नियुक्त पर्यवेक्षक प्रतिदिन के कार्यो की रिपोर्ट प्रतिदिन सांय 6 बजे प्रस्तुत करेंगे। स्वच्छता के कार्य को सुगम बनाने व कार्य मंे गति प्रदान करने हेतु नियुक्त पर्यवेक्षेक व्हाट्स एप ग्रुप प्रतिदिन की रिपोर्ट अपलोड करें।

डोंगरे नगर में नवनि र्मत कम्यूनिटी हॉल का आज होगा लोकार्पण

रतलाम 27 फरवरी । वार्ड क्रमांक 11 स्थित डोंगरे नगर में नवनि र्मत कम्यूनिटी हॉल का लोकार्पण वधायक रतलाम षहर माननीय श्री चेतन्य जी काष्यपए सांसद रतलाम झाबुआ माननीय श्री गुमान संह जी डामोर के मुख्य आतिथ्यए भाजपा के प्रदेष महामंत्री माननीय श्री भगवानदास जी सबनानी व भाजपा जिलाध्यक्ष माननीय श्री राजेन्द्र संह जी लुनेरा की अध्यक्षता में आज 28 फरवरी को सांय 04ः30 बजे कया जावेगा।

नागरिकों से अपील है क आयोजित लोकार्पण समारोह में मास्क लगाकर व षारीरिक दूरी के साथ उपस्थित रहकर कार्यक्रम को सफल बनावें।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा त्रिपो लया गेट दीनदयाल रसोई केन्द्र व डोंगरे नगर कम्यूनिटी हॉल का निरीक्षण

रतलाम 27 फरवरी। नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने डोंगरे नगर स्थित नवनि र्मत कम्यूनिटी हॉल व त्रिपो लया गेट स्थित दीनदयाल रसोई केन्द्र का निरीक्षण कर आवष्यक दिषा-निर्देष दिये।

त्रिपो लया गेट स्थित दीनदयाल रसोई केन्द्र के निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे षत कया क रसोई केन्द्र में भोजन करने आने वाले जरूरतमंदए गरीब व निर्धन व्यक्तियों कसी प्रकार की असु वधा ना हो इसका वषेश ध्यान रखा जाये साथ ही रसोई केन्द्र का षेश कार्य पूर्ण करने के साथ ही साफ-सफाई रखी जाये।

इसके अलावा डोंगरे नगर स्थित नवनि र्मत कम्यूनिटी हॉल के निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे षत कया क कम्यूनिटी हॉल का लोकार्पण कया जाना है इस हेतु कम्यूनिटी हॉल व परिसर की पर्याप्त सफाई का कार्य कया जाये।

निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए उपयंत्री सुश्री दीक्षा निजामपुरकर आदि उपस्थित थे।

‘ ‘स्वच्छता संकल्प देष काए हर र ववार वषेश सा’ ’ के तहत कार्यक्रम गीले कचरे से खाद बनाने हेतु नागरिकों को कया जायेगा प्रेरित

रतलाम 27 फरवरी। प्रदेष के नगरीय निकायों में स्वच्छता से संब धत जनअ भयान के तहत साप्ताहिक मेगा ईवेंट ष्स्वच्छता संकल्प देष काए हर र ववार वषेश सा’ ’ के तहत आज 28 फरवरी र ववार को प्रातः 9 बजे मोहन टॉ कज क्षेत्र में सामुदायिक कम्पोस्टिंग हेतु नागरिकोंए दुकानदारों आदि को अपने घरो में गीले कचरे से खाद बनाने हेतु निगम अ धकारीए ब्रांड एबेंसेडर्स व नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था द्वारा प्रेरित कया जायेगा साथ ही जागरूकता हेतु नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन कया जायेगा।

गंदगी करने वालो पर स्पॉट फाईन हेतु दल का गठन

नागरिक भी गंदगी करने वालो की सूचना दल को दें

रतलाम 27 फरवरी। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में वराट मेहराए उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त कया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्देए मनोज झांझोटए राकेष ललावत दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते है उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

सीवरेज प्रोजेक्ट का असरएशहर के कई ईलाकों की
ना लयां सूखीएगन्दगी और बदबू से मली निजात

रतलाम 27 फरवरी। दिलीप नगरएअर्जुन नगरएअशोक नगर जैसे शहर के कई इलाकों में गंदगी और बदबू से भरी रहने वाली ना लयां अब सूख चुकी है। इन ना लयों में अब गंदगी की जगह सीवरेज प्रोजेक्ट की पाइप लाइन है और घरों से निकलने वाली सारी गंदगी इन पाईपों के जरिये आगे पंहुच रही है। हांला क इन पाइप लाइनों को आगे जाकर नालों में ही छोडा जा रहा हैएले कन जल्दी ही इन सभी पाइप लाइनों को एसटीपी प्लान्ट्स से जोड दिया जाएगा।

शहर में शुरु हुए सीवरेज प्रोजेक्ट का शुरुआती असर अब नजर आने लगा है। शहर के महावीर नगरएनयागांवएइन्द्रलोक नगरएवीरीयाखेडीए वनोबा नगरएदिलीप नगर सलावटों का वासएहिम्मत नगर और ओसवाल नगर जैसे इलाकों के

तमाम घरों को सीवरेज लाइन से जोडा जा चुका है। शहर में कुल 43273 घरों में से सौलह हजार से अधिक घरों को अब तक सीवरेज प्रोजेक्ट से जोड दिया गया है।

इन सभी इलाकों में रहने वाले नागरिकों को अब नालियों की गंदगी और बदबू से छुटकारा मिल गया है। नालियां जाम होने जैसी समस्याएं तो खत्म हुई ही हैएनालियों में गंदगी समाप्त होने से अब मच्छर आदि की समस्या भी समाप्त हो गई है।

सीवरेज प्रोजेक्ट व्यवस्थित ढंग से पूरा हो जाने के बाद शहर की नालियों और बडे नालों में गंदा पानी और गंदगी बहना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और नालियों व नालों में सिर्फ बरसात का पानी बहेगा। नालियों और नालों की साफ सफाई भी बीतें निदों की बाते ंहो जाएगी।

रतलाम अमृत योजना के तहत प्रारंभ किए गए सीवरेज प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक में मानिटरिंग एजेंसी वेपकोस के अधिकारियों ने बताया कि 136ण्67 करोड लागत के सीवरेज प्रोजेक्ट में अब तक करीब 87 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो चुका है। शहर में डलने वाली कुल 273 किमी पाइप लाइन में से 256 किमी लाइन डाली जा चुकी है। इसी तरह घरों को जोडने वाली कुल 216 किमी लाइन में से 213 किमी लाइन डाली जा चुकी है।

शहर में दो एसटीपी प्लान्ट और पांच पम्पिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे है। इनमें से करमदी में 21 एसएलडी और खेतलपुर में16 एसएलडी क्षमता का एसटीपी प्लान्ट होगा। एसटीपी प्लान्ट का भी 82 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।

समीक्षा बैठक में निगमायुक्त सोमनाथ झारिया ने निर्देश दिए कि सीवरेज प्रोजेक्ट का काम 30 जून तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। सीवरेज प्रोजेक्ट के काम में लगी वेपकोस कंपनी के इंजीनियरों ने बताया कि 30 जून की समयावधि में सीवरेज प्रोजेक्ट को प्रारंभ कर दिया जाएगा।

11 व्यक्तियों पर स्पॉट फाईन कर 9 किलो पॉलीथीन जब्त

50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबंधित

उपयोग व भण्डारण पर होगी जब्ती व लगेगा दण्ड

रतलाम 27 फरवरी । षासन निर्देषानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबं धत कया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क नगरीय क्षेत्र रतलाम में सब्जीए फल-फुरट व अन्य सामग्री के फुटकर व्यवसायी अगर 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो उन पर 50 रूपये का अर्थदण्ड कया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह दुकानदारो द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करता है तो उस पर 5000ध् रूपये का अर्थदण्ड कया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी।

नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा ऐसे दुकानदार व सब्जी वक्रेता जो क गंदगी कर रहे थे व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग कर रहे थे उन पर की गई जुर्माने की कार्यवाही के तहत अरूण पर 500ए महावीर व खोजापा भाई पर 250.250ए आषीशए र वए राधेष्यामए लक्की करानाए प्रकाषए अली असगर व एक अन्य पर 100 व राधाबाई पर 50 रूपये का जुर्माना कर भ वश्य में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग ना करने की समझाईष दी गई व लगभग 9 कलो पॉलीथीन जब्त की गई।

नगर के नागरिकए दुकानदार व फुटकर व्यापारियों से अपील की जाती है क वे 50 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व प्लास्टिक का उपयोग व भण्डारण ना करें।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहान व श्री पर्वत हाड़ेए उप स्वच्छता निरीक्षक श्री जय उपाध्याय आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संबं धतों के वरूद्ध जुर्माना कये जाने का अ भयान निरंतर जारी रहेगा।

निगम कर्मचारी भी ब्रांड एबेंसेडर के रूप में कर रहे हैं कार्य

हैल्पर सुमीत डागर ने नागरिकों से गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक करवाया

रतलाम 27 फरवरी । नगर निगम के कर्मचारी गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण के कार्य में जागरूक होने के साथ-साथ अब नागरिकों को भी

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक-पृथक करवाकर ब्रांड एबेंसेडर का कार्य कर नागरिकों को जागरूक कर रहे हैं।

वार्ड क्रमांक 35 के कचरा संग्रहण वाहन के हैल्पर सुमीत डागर ने नाहरपुरा क्षेत्र में ऐसे नागरिक जो क गीला एवं सूखा कचरा पृथक नहीं कर रहे थे उनके घर एवं दुकान पर पैदल जाकर उन्हे गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु समझाईष देकर कचरे का पृथक्कीकरण करवाकर कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डलवाया। नाहरपुरा क्षेत्र के एक नागरिक द्वारा कचरा पृथक्कीकरण नहीं कये जाने की सूचना सुमीत डागर द्वारा वार्ड पर्यवेक्षक श्री मनीश तिवारी व झोन प्रभारी श्री करण चौहान को दिये जाने पर थोड़ी सख्ती दिखाई जाने पर संबं धत द्वारा स्वंय कचरे का पृथक्कीकरण कया गया।

जिस प्रकार से निगम कर्मचारी नगर को साफ-स्वच्छ बनाने हेतु जागरूकता से कार्य कया जा रहा है वैसे ही नागरिकों का भी कर्तव्य है क वे भी अपने घरो व दुकानों के कचरे का पृथक्कीकरण कर कचरा संग्रहण वाहन में पृथक-पृथक भागों में डालकर स्वच्छता ब्राण्ड एबेंसेडर बने व अपने नगर को साफ-स्वच्छ बनाकर रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने में अपना योगदान दें।

अनुपस्थित 45 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा

कारण बताओ सूचना-पत्र जारी

रतलाम 27 फरवरी । निगम के चारो झोन के वार्डो की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान झोन क्रमांक 1 मेंें 13 झोन क्रमांक 2 में 20ए झोन क्रमांक 3 में 3 व झोन क्रमांक 4 में 9 कर्मचारी इस तरह कुल 45 कर्मचारी 27 फरवरी को अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित कये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी कया गया।

सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान झोन क्रमांक 1 में निर्मलाबाई-बाबुलालए मनीष-मुकेशए वष्णुबाई-मुकेशए मीनाबाई मनोज वार्ड क्रमांक 1ए रामकन्याबाई-अर्जुनए सुनील-सोहनलाल वार्ड क्रमाक 3ए मुकेश-लालारामए रितू-राहूलए वार्ड

क्रमांक 5ए सतीश-राजेन्द्र वार्ड क्रमांक 8ए इन्दर-मोहनए हरिओम-मनोहर वार्ड क्रमांक 9ए श्रवण-दिलीप वार्ड क्रमांक 11ए राकेश-अशोक वार्ड क्रमांक 13ए झोन क्रमांक 2 में मनोरमा-जगदीशए मीना-मोहनए रानी-धीरजए शकुन्तला-कचरूए गजराबाई-कालूए सन्नी-जगदीश वार्ड क्रमांक 27ए सुगनाबाई-शंकरए निर्मलाबाई-पंकजए चरण-बाबुलाल वार्ड क्रमांक 31ए जितेन्द्र-बाबुए जितेन्द्र-जीवनए रानीबाई-ब्रजेशए राजश्री-दिनेशए भाग्याबाई-बंशीलालए महेन्द्र-नेहरू वार्ड क्रमांक 33 दीपक-अन्नीए प्रदीप-रामप्रसादए रेखाबाई-ओमप्रकाश वार्ड क्रमांक 36ए शीलाबाई-ओमप्रकाशए अनिता-दीपक वार्ड क्रमांक 38ए झोन क्रमांक 3 में अजय-बाबुलाल वार्ड क्रमांक 16ए प्रशांत-महेश वार्ड क्रमांक 22ए सुनील-ईश्वर वार्ड क्रमांक 46 व झोन क्रमांक 4 में सुनील-रामचन्द्र वार्ड क्रमांक 20ए आनन्द-भागीरथए कैलाश-जगराम वार्ड क्रमांक 21ए धरसी-राजू वार्ड क्रमांक 24ए भुपेश-बाबुलालए राधेश्याम-रामदयालए जु मलाबाई- शव वार्ड क्रमांक 25ए कांतिलाल-छोटू व इन्द्राबाई-कांतिलाल वार्ड क्रमांक 26 द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित कये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी कया गया।

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा
699 मवे शयों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 27 फरवरी । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवे शयों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवे शयों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अ भयान चलाया गया तथा 27 फरवरी तक शहर के व भन्न क्षेत्रों

से 699 मवे शयों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अ भयान के तहत 27 फरवरी को चांदनी चौक व बाजना बाजना बस स्टैण्ड से 2 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अ भयान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी कया गया है। शहरी क्षेत्र में मवे शयों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवे शयों का पालन कया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर रा श वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रूपये 500६ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवे शयों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए0पी0 संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहानए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर कये जा रहे है लीकेज दुरस्त
128 दिनों में 148 वॉल्व व 874 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 27 फरवरी । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अ धक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय वभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ कया गया जिसके तहत 27 फरवरी तक 148 वॉल्व व 874 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त कया जा चुका है।

‘ ‘रतलाम जलशक्ति अ भयान’ ’ व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड कया जा रहा है तथा अपलोड़ की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 27फरवरी शनिवार को त्रिवेणी मुक्तिधाम रोडए सखवाल नगर रंगमहल के पासए जवाहर नगर सी कालोनी व दीनदयाल नगर ऑटो स्टैण्ड के पास पाईप लाईन लीकेज दुरस्त कये जाने के साथ ही गवली मोहल्ला में पाईप लाईन चॉक को चेक कया गया।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए जलप्रदाय वभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्यए उपयंत्री श्री सुहास पं डतए श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादवए श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 27 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 27 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी

संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लया।

सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 27 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने के लये भारत सरकार द्वारा तैयार कये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमक र्मयों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मशन के तहत कये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करेंए उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण कया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 27 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संब धत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/27ण02ण2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.